

बैगा जनजाति की कार्य-पद्धति (उ.प्र. के सोनभद्र जिले के संदर्भ में)

—डॉ० योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी एवं सुनीता देवी*

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

*शोध छात्रा—समाजशास्त्र

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

सारांश

भारत विविधताओं का देश है, जहाँ अनेक जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय इत्यादि विविधताएँ देखने को मिलती हैं। यहाँ अनेक जनजाति भी निवास करती हैं। जिनकी अपनी-अपनी संस्कृति एवं कार्यपद्धति होती है। जिन जनजातियों को संविधान की अनुसूची में दिया गया है, उन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के नाम से जाना जाता है।¹

भारत के उ०प्र० के सोनभद्र जिले में जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में एस०टी० 0.6 प्रतिशत हैं। वर्तमान में उ०प्र० में सूचीबद्ध की गई जनजातियों की संख्या 12 है। इनमें से एक "बैगा जनजाति" है।²

उ०प्र० में सोनभद्र जिला एक मात्र ऐसा जिला है, जहाँ बैगा जनजाति निवास करती है। जिसकी जनसंख्या 30006 है। इस जिले में तीन विकास खण्ड हैं जिनमें से एक घोरावल विकास खण्ड है। इस शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा घोरावल विकास खण्ड के बैगा जनजाति की कार्यपद्धति तथा उनमें हो रहे परिवर्तन का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन कर उससे जुड़ी अन्य जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द— जनजाति, बैगा जनजाति, बैगा की दवा, बैगा की पूजा, बैगा की कार्यपद्धति तथा इनमें परिवर्तन, विकास परियोजना।

प्रस्तावना :-

भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1950 में 212 भारतीय जनजातीय समुदायों की पहचान कर एक सूची तैयार की गई जिसे अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 में शामिल किया गया। इन सूचीबद्ध जनजातियों को ही अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।³

भारत सरकार ने उ०प्र० के 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा है जिनमें से एक बैगा जनजाति है। जनगणना 2011 के अनुसार उ०प्र० में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1134273 है, जिसमें 581083 पुरुष और 553190 स्त्री हैं। उ०प्र० के कुल एस०टी० जनसंख्या में से 1031076 लोग गाँव में तथा 103197 लोग शहर में निवास करते हैं।⁴

उ०प्र० में 1967 से पूर्व एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं थी। पहली बार जून 1967 में 5 जनजातियों को 'अनुसूचित जनजाति' घोषित किया गया था— (1) भोक्सा (बुक्सा) (2) थारू (3) जौनसारी (4) राजी (5) भोटिया।

जब उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ तब केवल 2 अनुसूचित जनजाति थारू तथा भोक्सा उ०प्र० में शेष रही। सन् 2003 में भारत सरकार द्वारा उ०प्र० के दस अन्य जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया जिसमें— (1) गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, (2)

खरवार, खैरवार (3) सहरिया (4) परहिया (5) पंखा, पनिका (6) बैगा (7) अगरिया (8) पठारी (9) चरो (10) भुइया, भूइयाँ।

बैगा जनजाति को उ०प्र० में 2003 में “अनुसूचित जनजाति” का दर्जा मिला। उ०प्र० में बैगा जनजाति केवल सोनभद्र में निवास करती है, जिनकी संख्या 30006 है।⁵ इनकी अपनी अलग संस्कृति होती है किन्तु अब यह विलुप्त होती जा रही है।

बैगा का अर्थ “ओझा या शमन” होता है। ये लोग जनेऊ धारण करते हैं तथा पूजा-पाठ का काम करते हैं। प्रेत-बाधा आने पर ओझाई व झाड़-फूंक का काम करते हैं। इनमें जो शिक्षित हो चुके हैं उनके रहन-सहन में उन्नति हुई है।⁶

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. उ०प्र० के सोनभद्र जिले की बैगा जनजाति की कार्यपद्धति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना।
2. साहित्य का पुनरावलोकन करना।
3. बैगा जनजाति की कार्यपद्धति में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।

विधि तंत्र :-

इस शोध में प्रस्तुत किया गया अध्ययन उ०प्र० के सोनभद्र जिले की बैगा जनजातियों की साक्षात्कार एवं सहभागिता पर आधारित है। अध्ययन के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन तथा साक्षात्कार करके बैगा जनजातियों की कार्यपद्धति एवं जीवन शैली तथा उनमें हो रहे परिवर्तन को स्पष्ट किया गया है।

शोध प्रविधि :-

इस प्रस्तुत शोध में गुणात्मक और विवरणात्मक प्रविधि का उपयोग किया गया है। इसमें आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें वैयक्तिक संवादों से अनौपचारिक पद्धति से मौलिक स्वरूप में तथ्यों को एकत्रित किया गया है।⁷

सूचना का स्रोत :-

इस प्रस्तुत किए गए शोध में अध्ययन का आधार प्राथमिक सूचनाएं तथा द्वितीयक सूचनाएं हैं। जिसमें तथ्यों का संकलन सहभागी अवलोकन, वैयक्तिक संवाद तथा साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राथमिक सूचनाओं के रूप में किया गया है तथा द्वितीयक सूचनाओं के संकलन हेतु केंद्र सरकार तथा उ०प्र० सरकार द्वारा चलाई गई विशेष परियोजना, जनजातियों से संबंधित प्रकाशित शोध पत्र, विभिन्न पुस्तकें तथा वेबसाइटों, योजना पत्रिका, 2011 की जनगणना रिपोर्ट आदि का उपभोग किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र :-

उ०प्र० के सोनभद्र जिले में तीन विकास खण्ड हैं। जिनमें से एक है ‘घोरावल विकास खण्ड’। जिसके कई गाँव को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया है।

न्यादर्श तथा उसका चुनाव :-

न्यादर्श के लिए चुना गया घोरावल ब्लॉक के कई गाँवों से 250 बैगा परिवारों के (125 पुरुष तथा 125 स्त्री) मुखिया को लिया गया है।

मानक उपकरण एवं फलांकन :-

तथ्य संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची को लिया गया है।

साहित्य का पुनरावलोकन :-

डॉ० रवीन्द्रनाथ मुकर्जी ने अपनी पुस्तक “सामाजिक शोध व सांख्यिकी” में बताया है कि किसी शोध में किस प्रकार की पद्धति, स्रोत, प्ररचना इत्यादि का उपयोग कैसे करें।

प्रो० एम०एल० गुप्ता एवं डॉ० डी०डी० शर्मा ने अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्र' में बताया है कि जनजातियों को अनेक नाम से जाना जाता है जैसे— आदिम समाज, आदिवासी बनवासी, वन्य जाति गिरीजन तथा अनुसूचित जनजाति आदि। गुप्ता एवं शर्मा ने इनकी विशेषताओं को भी बताया है जो इस प्रकार है— सामान्य भू-भाग, सामान्य भाषा, विस्तृत आकार, एक नाम, अन्तर्विवाह, सामान्य संस्कृति आर्थिक आत्मनिर्भरता निजी राजनीतिक संगठन तथा सामान्य निषेध इत्यादि।⁸

डॉ० मेघा देशपाण्डे की पुस्तक "बैगा जनजाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन" से बैगा जनजातियों के परिवार, विवाह, धर्म, जादू, प्रथाएं, आर्थिक व्यवस्था, जीवन शैली, स्त्री प्रस्थिति, शिक्षा, न्याय व्यवस्था तथा राजनैतिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।⁹

उ०प्र० स्पेशल, इग्जाम टाइम्स के अध्ययन से बैगा जनजाति की वर्तमान जनसंख्या के बारे में पता चला कि उ०प्र० में मात्र सोनभद्र जिले में जनजाति निवास करती है जिनकी जनसंख्या कुल 30006 है।

वैरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक 'द बैगा' में बैगा जनजाति के बारे में विस्तार से लिखा है और बताया है कि 'बैगा जनजाति' कोल या मुण्डा से संबंधित जनजाति है।¹⁰

वही 1931 के सेन्सस रिकार्ड में कोल या मुण्डा समूह में बैगा, भुईया, बिंझवार, भारिया, भुंजिया, चटवार, कादर, खेतवारी, नेया, राव को शामिल किया गया है।¹¹

हीरालाल ने बैगा जनजाति को सही अर्थों में ABORIGINAL माना जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञात है।¹² रसेल एवं हीरालाल ने इनकी सात उपजातियों के नाम बताए हैं— 1. बिंझवार, 2. भरोटिया, 3. नरोटिया, 4. रायभैना, 5. कठभैना, 6. कोंडवान या कुंडी, 7. गोंडवैना।

विभिन्न वेबसाइट से प्राप्त जानकारी तथा विभिन्न शोध पत्र-पत्रिकाओं से बैगा जनजाति में होने वाले परिवर्तन के बारे में पता चला है कि यह जनजाति अपनी कार्यपद्धति तथा संस्कृति को खोली जा रही है।

बैगा जनजाति के कार्यपद्धति में में तथा उनके जीवनशैली में परिवर्तन होने की पुष्टि साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन तथा द्वितीयक स्रोतों द्वारा सोनभद्र की जिले की बैगा जनजाति से मिली जानकारी से की गई है।

उ०प्र० में जनजातियों के विकास हेतु संचालित परियोजनाएं¹³—

- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना— लखीमपुर खीरी, सोनभद्र में।
- थारु विकास परियोजना— बलरामपुर में।
- बिखरी जनजाति विकास परियोजना— सोनभद्र में।

बैगा जनजाति की कार्यपद्धति तथा इनमें परिवर्तन :-

बैगाओं की कई उपजातियां होती हैं। बैगाओं में मूल रूप से 'गब' प्रणाली प्रचलित है। जिसके अनुसार बैगा जनजाति एक विशिष्ट जंगल अथवा पहाड़ों में रहने वाली मानी जाती है। इस जनजाति में बहिर्विवाह (अपने गढ़ से बाहर विवाह) होता है। बैगाओं के कुछ 'गढ़' के नाम इस प्रकार हैं— चननिया, चिटुरिया, धमगिया, घंगप्रिया, दवरिया, पचमहिया, चांदगरिया, मसनिया, कुमरिया, एलगैया।

बैगा जनजातियों का व्यवसाय कृषि, बांस की वस्तुएं बनाने का कार्य, वनोपजों का विक्रय, बकरी पालन, मजदूरी, नौकरी है।

बैगाओं के परिवारों की मासिक आय निश्चित नहीं किया जा सकता। लगभग 40 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 500—1000 रु० है तथा लगभग 40 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 1500—2000 रु० है तथा शेष लगभग 20 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 2000 रु० से ऊपर होती

है। इस आय में उतार-चढ़ाव होता रहता है। क्योंकि वर्तमान में बाजार व्यवस्था से तथा सभ्य समाज से सम्पर्क के कारण इनकी आय में बढ़ोत्तरी हुई है।

बैगा जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक अशिक्षित हैं। क्योंकि यह जंगलों व पहाड़ों पर रहते हैं जहाँ शिक्षा का अब भी अभाव है। लगभग 62 प्रतिशत लोग 5वीं तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। 6वीं से 12वीं कक्षा तक लगभग 17 प्रतिशत लोग ही शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। उसके आगे की शिक्षा स्तर नगण्य है।

बैगाओं में संयुक्त परिवारों की संख्या नगण्य है। मूल इकाई के रूप में केन्द्रीय परिवार देखने को मिलता है। बैगाओं में विवाह से पूर्व यौन संबंध स्थापित करना सामान्य रूप से समाज में स्वीकार था। जब लड़की गर्भवती हो जाती थी तो उसका विवाह उसी लड़के से करा दिया जाता था। किंतु वर्तमान में इसे अस्वीकार किया जाने लगा है।

बैगाओं में अपने मूल परिवार से अलग रहने के बावजूद किसी भी उत्सव व त्यौहार को साथ-साथ मनाते हैं। वर्तमान में इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। सब अपने-अपने परिवार के साथ ही उत्सव मनाते हैं न कि मूल परिवार के साथ।

बैगाओं में स्त्री वर्चस्व देखने को मिलता है। हॉट बाजार में (साप्ताहिक बाजार) स्त्रियां ही ज्यादातर खरीददारी करती हैं।

बैगाओं में विवाह की आयु देखें तो लगभग 5 दशक पहले बच्चे का जन्म होते ही विवाह तय करके विवाह कर दिया जाता था, परंतु अब बाहरी संपर्कों तथा जागरूकता के कारण विवाह की आयु 16 वर्ष से 24 वर्ष के बीच की होती है।

बैगाओं में वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह का प्रस्ताव भेजा जाता है किंतु यह कुछ वर पक्ष द्वारा भी भेजा जाता है। बैगाओं में वधू मूल्य का प्रचलन है। इनमें स्त्री को सम्पत्ति के रूप में देखा जाता है जिसे परिवार बिना मुआवजे के नहीं सौंपता। वधू मूल्य के रूप में अनाज, कपड़ा, शराब, पशु, गहने लिया व दिया जाता है। बैगा प्रथागत कानून निश्चित व कठोर व्यवस्था से दूर है। बैगाओं में गोत्र संबंधी टोटम नहीं पाया जाता है।

बैगाओं में बड़ा देव या बुढ़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, खेरमाई, धरतीमाता, नाग देवता, बनजारिन माई, मुठुवा देव, रातमाय दल्हा देव व दूल्ही देव तथा हिन्दू देवी-देवताओं को पूजा जाता है। बैगाओं में देवी-देवताओं को बिदरी पर्व, नवा/नवाखानी पर्व, दशहरा पर्व, लाडू-काज, विवाह इत्यादि अवसरों पर पूजा जाता है। इनमें बलि प्रथा प्रचलित है।

बैगाओं में बीमारियों को ठीक करने के लिए पशु-बलि, झाड़-फूँक, जंगली जड़ी-बूटियों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इनके अंधविश्वास या कर्मकाण्डीयता में नाम मात्र का परिवर्तन हुआ है।

बैगा शिकार करने में भी कुशल थे किंतु अब इनमें परिवर्तन हुआ और ये कृषि, पशुपालन, पशुचारण, मजदूरी आदि करने लगे हैं। बैगाओं की परम्परागत फसल कोदो, कुटकी, मक्का है जो अब बहुत ही कम उगाया जाता है।

बैगाओं में जादू प्रथा भी प्रचलित है जो कि दो प्रकार का होता है— 1. बुरा असर उतारने वाला, 2. हानि पहुँचाने वाला।

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैगाओं की दवा, बैगाओं की पूजा, बैगाओं की कार्यपद्धति तथा जीवन शैली किस प्रकार की थी और उनमें किस तरह का परिवर्तन देखा जा रहा है। उपर्युक्त परिवर्तन सरकारी योजनाओं तथा बाहरी सम्पर्कों के कारण देखने को मिलता है। बैगाओं में सकारात्मक परिवर्तन ज्यादा हुए हैं इसके साथ कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ये अपनी संस्कृति या

कार्यपद्धति को खो रहे हैं तथा दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे कुरीतियों में फंसते जा रहे हैं। ये अपना परम्परागत रोजगार भी खोते जा रहे हैं, जो आजीविका संकट को उत्पन्न कर रहा है।

सुझाव :-

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान जो भी इनके लिए विकास परियोजना एवं कौशल प्रशिक्षण दिए जाएं उनमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए/दिया जाए जो निम्न हैं—

- इन्हें शिक्षा, व्यवसाय, अधिकार, स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में जागरूक किया जाए। इसके लिए कोई जागरूकता संगठन/समिति भी बनायी जानी चाहिए।
- इनकी रुचि के अनुसार उद्योग-धन्धों का प्रशिक्षण देकर, उनके लिए उद्योग लगाया जाए जिससे इनकी आय बढ़े।
- इनके जंगली/प्राकृतिक जड़ी-बूटियों को वृहद स्तर तक पहुँच बनाया जाए। इसके लिए विशेष संगठन बनाया जाना चाहिए।
- इनको घर पर ही उद्योग-धन्धे उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची :-

1. सिंह, वी०एनव, सिंह, जनमेजय, भारत में सामाजिक आंदोलन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2016 पृ० 140
2. भारत की जनसंख्या 2011 से प्राप्त जानकारी।
3. शर्मा, जी०एल०, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2015, पृ० 36-43
4. Ministry of Tribal Affairs, Government of India, Annual Report 2020-21, Page 142, 145, 149.
5. उ०प्र० स्पेशल, इग्जाम टाइम्स, 2021, प्रयागराज।
6. डॉ० गुप्ता, पारुल, डॉ० डेविड, अलका, 'बैगा जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन', IJARD, Vol.-3 : Issue 2 : March 2018, Page No. 465-467-
7. डॉ० मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ, 'सामाजिक शोध व सांख्यिकी' 2020, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
8. प्र० गुप्ता, एम०एल० एवं डॉ० शर्मा, डी०डी०, 'समाजशास्त्र', 2018, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ० 421-422
9. डॉ० देशपाण्डेय, मेधा, 'बैगा जनजाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन', बालाघाट जिले के संदर्भ में 2016, AAYU प्रकाशन नई दिल्ली।
10. एल्विन, वैरियर, (1939) 'द बैग' पृ० 3
11. सेन्सस ऑफ इण्डिया 1931 Vol. 1, Part 2, पृ० 523
12. हीरालाल बी०ए०, 'बैगा', मेन इन इण्डिया Vol. IV, No. 3-4, पृ०सं० 273-276, 1924
13. उ०प्र० स्पेशल, इग्जाम टाइम्स, 2021, प्रयागराज।
14. उ०प्र० के सोनभद्र जिले के घोरावल विकास खण्ड के कई गाँव के बैगा जनजाति तथा अन्य से साक्षात्कार तथा अवलोकन से प्राप्त जानकारी।

